

2025/442

फर्द अहकाम

(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
दिपाराम आदि

रविद्र कुमार

बनाम

प्रकरण संख्या 321 वर्ष 2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.07.2025 को पेश हो। m	
11.7.2025	वकुलाए फरिठेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 15 ता 17 ने जरिये वकील श्री. कृष्ण वर्मा उपस्थित शकत इकठाल दाख पेश किया। पत्रावली वाले ओप त्वतिवर्गिण की नली हेतु फाईल नं 11.9.2025 को पेश हो। m	सुरेश्वरी Rumju Rachna
06/8/2025	वकील प्रतिवादी द्वारा धर्मना मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में किया गया वकुलाए फरिठेन उपस्थित। प्रकस 1 ता 14 ने जरिये वकील श्री. कृष्ण वर्मा इकठाल दाख पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वाले जकार सेट फाईल नं 07/8/2025 को पेश हो। m	
07/8/2025	वकुलाए फरिठेन उपस्थित। सेट जकार पार हुआ। खतर घुनी गई। पत्रावली की डिपोजिट किया गया पत्रावली पर उपस्थित रिफाईंड कापसी सहमति के आधार पर वाद जारी नहीं किया जाता है। मुनिक्पण ललितगिनि अलासे निष्पाया जकार शामिल फाईल किया जाके पत्रावली नम्बर से कर की जाकत उपस्थित इकठाल हो। m	

